न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 42/25 GCMS NO 2025/84

अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी पठान खिडकिया के पास करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. चैन कुमार पुत्र रघुनाथ जाति माली निवसी होली खिडकिया भीतर दंग करौली तहसील व जिला करौली
2. केदार पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी रनगवां ताल के पास तीन दरवाजा करौली तहसील व जिला करौली
3. मोहरो पत्नि केदार जाति गुर्जर निवासी रनगवां ताल के पास तीन दरवाजा करौली तहसील व जिला करौली
4. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी पठान खिडकिया के पास करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 8/20 निर्णय दिनांक 17.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रेस्पो0 श्री श्याम प्रकाश गर्ग

दिनांक 13.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 17.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 8450 रकबा 3 विस्वा,8454 रकबा 6 विस्वा, 8455 रकबा 16 विस्वा, 8456 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 8457 रकबा 15 विस्वा,8458 रकबा 13 विस्वा, 8471 रकबा 5 विस्वा,8451 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 8452 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 8453 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 8 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का न0 10 तहसील करौली मे स्थित है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी न0 4 व उमर खातून उर्फ बल्लो ,रफीका खातून उर्फ नग्गो के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी व प्रतिवादी न0 4 की मां मरियम खातून बेवा अब्दुल हफीज का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी न0 4 है। उक्त आराजीयात मे वादी व प्रतिवादी न0 4 का 7/8 हिस्सा है एवं उमर व रफीका खातून का 1/8 हिस्सा है । जो जमाबंदी सवंत 2072 से 75 से स्पष्ट है। वादग्रस्त आराजीयात से गैरसायल संख्या 1 ता 3 का कोई सबंध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान संख्या 1 ता 3 द्वारा जबरदस्ती आराजी मे खडे हुए हरे वृक्षो को जबरन काटा जा रहा है सायल द्वारा मना किया जो मारपीट पर उतारू हो गये। जिसकी रिपोर्ट सायल द्वारा थाना कोतवाली करौली मे प्रस्तुत की गई है। गैरसायलान संख्या 1 ता 3 द्वारा करीब 1 लाख रूपये के पेडो को काटकर चोरी कर ली

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

गई है जिससे सायल को काफी नुकसान हुआ है। गैरसायलान का उक्त कृत्य अवैधानिक है। इसलिए गैरसायल संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात कुल किता 10 कुल रकबा 8 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम कस्बा करौली के फसल लाभ लेने मे वादी को किसी प्रकार की कोई मजाहमत नही करे तथा खडे हुए हरे वृक्षो को नही काटे एवं उक्त आराजीयात मे मिटटी को जबरन खोदकर नही ले जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं रिकार्ड के विपरीत होने व पूर्णतया आरवेट्रेटरी व परवरिस तथा विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर शीट मे दर्ज नजीर आर बी जे (5) 1998 प्रकरण मे लागू नही होती है। यह नजीर 211 आर टी एक्ट के संदर्भ मे है जिसमे सहखातेदारी भूमि को खरीदने वाले केता के द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने की स्थिति मे सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है यह प्रकरण केता द्वारा प्रस्तुत नही कर सहखातेदारान द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 जो भूमि के न तो केता है ना ही खातेदार है उनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नजीर का गलत विवेचन कर जैर अपील निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत बिना माईडं एप्लाई किये पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नही है तथा सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात कुल किता 10 कुल रकबा 8 बीघा 10 विस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का न0 10 तहसील करौली मे अपीलांट/सायल के फसल लाभ लेने मे दखल नही करे एवं अपीलांट सायल की आराजीयात मे खडे हरे वृक्षो को नही काटे ना ही किसी अन्य से कटावे एवं उक्त आराजी मे से मिटटी को जबरन खोदकर नही ले जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट/सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन अपीलांट/सायल के पक्ष मे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ को विवेचन किया जाकर ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुंटी नही है। वादग्रस्त आराजीयात मे सायल/अपीलांट का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि रेस्पो/गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे खडे वृक्षो को काटा गया है ना ही किसी प्रकार से झगडा किया गया है। सायल/अपीलांट द्वारा गैरसायलान के विरूद्व गलत एवं झूठा दावा एवं प्रार्थना पत्र केवल मात्र हेरान परेशान करने की गरज से पेश किया गया है। गैरसायल न0 1 विवादित आराजी का पडोसी है। गैरसायल न0 4 के हिस्से के खेतो मे गैरसालय न0 1 का गत 10 वर्षो से सिचाई हेतु कुऐ से पानी जाता है । सायल गैरसायल न0 4 को परेशान करता है। विवादित खेतो मे पानी देने की मना करता है। गैरसायल 2 व 3 गैरसायल न0 1 के साझेदार है जो गैरसायल न0 की जमीनो को साझे पर काश्त करते है। गैरसायल संख्या 1 ता 3 द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य ही नही किया है तो अपीलांट उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। गैरसायल संख्या 4 का विवादित आराजीयात के दक्षिणी हिस्से पर काबिज है एवं उसी के द्वारा अपनी भूमि को कटाव से रोकने के कारण जे सी बी से मिटटी डालकर कटाव से रोकने का प्रयास किया गया है। गैरसायल संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी आई मे सायल द्वारा अवैधानिक रूप से व्यवधान पैदा करने का कथन किया गया है। इस प्रकार गैरसायल संख्या 1 ता 3 द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से जबाब प्रार्थना पत्र गैरसायल संख्या 1 ता 3 एवं काउन्टर टी आई गैरसायल न0 4 का विधिवत रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात मे सायल एवं गैरसायल संख्या 4 सहखातेदार है जिसकी पुष्टि छाया प्रति जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 से होती है। अपीलांट/सायल अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात मे खडे हुए हरे वृक्षो को जबरन गैरसायल संख्या 1 ता 3 द्वारा काटा जाकर चोरी किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात मे गैरसायल/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार का हित एवं अधिकार हो इस प्रकार का कोई दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड पत्रावली मे उपलब्ध नही है। यदि किसी सहखातेदार खातेदार की आराजी मे से बिना किसी हक एवं अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न पैदा किया जाता है तो आवश्यक ही उस खातेदार को अपूर्णनीय क्षति होना संभव है। वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नही होने के बाबजूद भी उनके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से सायल/अपीलांट को नुकसान पहुँचाने की गरज से हरे वृक्षो को नष्ट किया जाता है जो प्राकृतिक सम्पदा के साथ साथ सायल/अपीलांट के हितो पर प्रभावी है। इस विधिक तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर विधि विरूद्व तरीके से सायल/अपीलांट को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के हक एंव अधिकार निहित होने व उनकी सुरक्षा हेतु गैरसायल/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 8/20 मे पारित निर्णय दिनांक 17.3.25 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पो0/गैरसायल संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 8450 रकबा 3 विस्वा, 8454 रकबा 6 विस्वा, 8455 रकबा 16 विस्वा, 8456 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 8457 रकबा 15 विस्वा,8458 रकबा 13 विस्वा, 8474 रकबा 5 विस्वा, 8451 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 8452 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 8453 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 8 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का न0 10 तहसील करौली मे सायल/अपीलांट के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल नही करे व सायल/अपीलांट को फसल काश्त लेने मे दखल नही करे तथा सायल/अपीलांट की आराजीयात मे खडे बृक्षो को नही काटे तथा जबरन मिटटी का खनन नही करे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर